संख्या-11/2016/11/78-2-2016-34आई.टी./2010

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव/सचिव,
   राजस्व/पंचायतीराज/विकलांग कल्याण/समाज कल्याण/महिला एवं बाल विकास/
   श्रम/खाद्य एवं रसद/नगर विकास/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
   उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 04 फरवरी, 2016

विषयः- जन सेवा केन्द्रों द्वारा ई-डिलीवरी के माध्यम से आम नागरिकों को प्रदान की जा रही शासकीय सेवाओं हेतु लिये जा रहे यूज़र चार्ज़ेज में से डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर (डी.एस.पी.) के अंश के पुनर्विभाजन एवं वितरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत ही है कि शासन द्वारा उच्चतम स्तर पर निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों में जन सेवा केन्द्रों की स्थापना की जायें ताकि आम जनमानस को उनके द्वार के समीप समस्त शासकीय सेवायें उपलब्ध करायी जा सकें। उक्त के क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर (डी.एस.पी.) के माध्यम से दिनांक 31.03.2016 तक प्रदेश की प्रत्येक दो ग्राम पंचायतों में एक जन सेवा केन्द्र स्थापित किये जाने का लक्ष्य है तथा उसके उपरान्त दिनांक 31.12.2016 तक प्रदेश के हर 1 ग्राम पंचायत में कम से कम 1 जन सेवा केन्द्र को स्थापित किया जाना है। उक्त के क्रम में डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर (डी.एस.पी.) के रूप में चयनित संस्थाओं द्वारा प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में जन सेवा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।

2. अवगत कराना है कि खुली निविदा के माध्यम से डी.एस.पी. के रूप में 06 संस्थाओं का चयन किया गया जिनमें क्रमशः 21 जनपद मै0 श्रेयी सहज ई-विलेज लि0, 21 जनपद मै0 सी.एम.एस. कम्प्यूटर्स लि0, 20 जनपद मै0 वयम टैक्नोलॉजी लि0, 4 जनपद मै0 आई.ए.पी. कम्पनी प्रा0 लि0, 3 जनपद मै0 एस.आर.एम. इन्जिनियरिंग साल्यूशन्स तथा 1 जनपद मै0 के. एण्ड डी. इन्जिनियर्स एण्ड कन्सल्टेन्ट्स को प्राप्त हुये है। इसके अतिरिक्त शेष 5 जनपदों में जन सेवा केन्द्रों का संचालन आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के अधीन संस्था ई-सुविधा द्वारा किया जायेगा। प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में चयनित 6 संस्थाओं तथा ई-सुविधा को आवण्टित जिलों की सूची **संलग्नक-1** के रूप में संलग्न है।

3. आई. टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा शासनादेश सं0-1527/78-2-2013-53 आईटी/2012

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

दिनांक 20.02.2013 के माध्यम से पूर्व में प्रत्येक शासकीय सेवाओं हेतु यूज़र चार्ज़ेज तथा विभिन्न स्टेक होल्डर्स के मध्य अंश विभाजन निम्न तालिकानुसार किया गया थाः-

क्र0 सं0	सेवा	एस.सी.ए./केन्द्र संचालक	यूज़र चार्ज का अंश (`)		सी.ई.जी.	कुल यूज़र चार्ज (`)
			सम्बन्धित विभाग	डी.ई.जी.एस./ लोकवाणी सोसाईटी		
1.	राजस्व विभाग की खतौनी सेवा को छोड़कर शेष दी जा रही शासकीय सेवायें	10	5	3	2	20
2.	राजस्व विभाग की खतौनी सेवा	15	10	3	2	30

4. उक्त तालिका में नई व्यवस्था में डी.एस.पी. चयन हेतु निविदाओं में प्राप्त डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेन्स सोसाईटी (डी.ई.जी.एस.), डी.एस.पी. एवं केन्द्र संचालक के अंश में प्रत्येक शासकीय सेवाओं हेतु निम्न संशोधन किया जाता है:-

क्र0 सं0	सेवा	एस.सी.ए./ केन्द्र संचालक	यूज़र चार्ज का अंश (`)		सी.ई.जी.	कुल यूज़र चार्ज (`)
			सम्बन्धित विभाग	डी.ई.जी.एस./ लोकवाणी सोसाईटी		
1.	राजस्व विभाग की खतौनी सेवा को छोड़कर शेष दी जा रही शासकीय सेवायें **(जनपद बांदा को छोड़कर)**	6	5	7	2	20
2.	राजस्व विभाग की खतौनी सेवा **(जनपद बांदा को छोड़कर)**	11	10	7	2	30
3.	राजस्व विभाग की खतौनी सेवा को छोड़कर शेष दी जा रही शासकीय सेवायें **(जनपद बांदा हेतु)**	7	5	6	2	20
4.	राजस्व विभाग की खतौनी सेवा **(जनपद बांदा हेतु)**	12	10	6	2	30

5. उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया है कि शहरी क्षेत्र में डी.ई.जी.एस. के अन्तर्गत आने वाले केन्द्र जिनके माध्यम से वर्तमान में शासकीय सेवायें उपलब्ध करायी जा रही है, उनका संचालन पूर्व में किये गये अनुबन्ध की अवधि समाप्ति के उपरान्त डी.एस.पी. के माध्यम से कराया जायेगा तथा तब

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

तक प्रत्येक शासकीय सेवाओं से प्राप्त होने वाले यूज़र चार्ज़ेज का अंश विभाजन विभिन्न स्टेक होल्डर्स के मध्य पूर्ववत रहेगा। भविष्य में शहरी क्षेत्रों में स्थापित होने वाले केन्द्रों पर शासकीय सेवाओं से प्राप्त होने वाले यूज़र चार्ज़ेज का अंश विभाजन नई व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।

6. उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नई व्यवस्था के अन्तर्गत जन सेवा केन्द्रों तथा ई-सुविधा केन्द्रों (लखनऊ को छोड़कर) के माध्यम से आम नागरिकों को प्रदान की जा रही शासकीय सेवाओं हेतु नवीन अंश विभाजन उपरोक्त तालिका के अनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी होंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त भविष्य में यदि किसी अन्य संस्था द्वारा जनपद स्तर पर शासकीय सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु यदि शासन की अनुमति से समान शर्तों पर केन्द्रों की स्थापना की जाती है तो उपरोक्त तालिका के अनुसार अंश विभाजन नई संस्थाओं पर भी लागू होगा।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव

संख्या: 11/2016/11(1)/78-2-2016 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उ0प्र0।
2. राज्य समन्वयक, ई-सुविधा, गोमती नगर, लखनऊ।
3. एस.आई.ओ., एन.आई.सी., उ0प्र0, लखनऊ।
4. हेड, एस0ई0एम0टी0, उ0प्र0।
5. मै0 श्रेयी सहज ई-विलेज लि0।
6. मै0 सी.एम.एस. कम्प्यूटर्स लि0।
7. मै0 वयम टेक्नोलॉजी लि0।
8. मै0 आई.ए.पी. कम्पनी प्रा0 लि0।
9. मै0 एस.आर.एम. इन्जीनियरिंग साल्यूशन्स।
10. मै0 के. एण्ड डी. इन्जीनियर्स एण्ड कन्सल्टेन्ट्स।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।